न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 24/2019

बउनवानः—

1. बृजराज पुत्र
2. श्याम मनोहर पुत्र
3. प्रेमचंद पुत्र
4. शान्ति बाई पत्नि
5. श्योजी पुत्र

} श्री देवीलाल जाति धाकड निवासी रिंझिया तहसील मांगरोल जिला बारां

...प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

वकील प्रार्थीगण : श्री मनोज कुमार गालव

दायरा दिनांकः 15.10.2019

निर्णय दिनांक : 14.12.2020

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के शामलाती खाते व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 172 खसरा नं0 13 रकबा 3.13 है0, खसरा नं0 393 रकबा 1.85 है0 कुल किता 2 रकबा 4.98 है0 ग्राम रिंझिया तह0 मांगरोल में स्थित है। सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थीगण के खाते की आराजी के साबिक खसरा नं0 59 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 292/449 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 31 बीघा 8 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। इस प्रकार हाल खसरा नं0 13 व 393 साबिक खसरा नं0 292/449 व 393 का राजस्व नक्शा सेटलमेंट साबिक नक्शे की तुलना में छोटा कर दिया है तथा खसरा नं0 13 व खसरा नं0 393 का रकबा साबिक खाता 31 बीघा 8 बिस्वा के स्थान पर हाल सम्पूर्ण रकबा 0.06 है0 कम दर्ज कर दिया है। प्रार्थीगण का राजस्व नक्शा व रकबा दोनो छोटा हो जाने से पैमाईश पूरी नही की जा रही हे। अतः प्रार्थीगण के खाते की आराजी खाता संख्या 172 खसरा नं0 13 रकबा 3.13 है0, खसरा नं0 393 रकबा 1.85 है0 में कमी रकबा 0.06 है0 की पूर्ति कर कुल रकबा दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:28:50 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2020/226 दिनांक 22.01.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम रींझिया की जमाबंदी सम्वत 2036–39 के खाता संख्या 37 पर खसरा नं0 59 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 292/449 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 31 बीघा 8 बिस्वा दर्ज रेकार्ड था। बाद सेटलमेंट खसरा नं0 59 रकबा नवीन खसरा नं0 13 रकबा 3.13 है0 व खसरा नं0 292/449 का नवीन खसरा नं0 393 रकबा 1.85 है0 दर्ज किया गया। गत रकबे 31 बीघा 8 बिस्वा का बाद सेटलमेंट रकबा 5.03 हे0 दर्ज होना था जो 0.05 है0 की कमी के बाद 4.98 है0 दर्ज हुआ है। अतः गत की तुलना में 0.05 है0 की कमी पूर्ति किया जाना व खसरा नं0 393 रकबा 1.85 है0 के नक्शे को बढाया जाना सम्भव नही है क्योकि समीपवर्ती खातेदारान के रकबे में वृद्धि नही हुई है अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का प्रार्थना पत्र के संदर्भ में आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने यह तो जाहिर किया है कि सेटलमेंट के बाद रकबे में कमी हुई है परन्तु यह स्पष्ट नही किया है कि किस खसरा नम्बरान में रकबा बढा है और ना ही यह स्पष्ट किया है कि किस खसरा नम्बर में रकबे की कमी की जाकर प्रार्थी के रकबे में हुई कमी की पूर्ति की जावें। पत्रावली में संलग्न अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जवाब के अनुसार समीपवर्ती खातेदारान के रकबे में वृद्धि नही हुई है जिस कारण रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2020 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:28:50 IST
Reason: SelfAttested